राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः- एफ1(14)ग्रावि/नरेगा/ग्रुप-3/वेज/2014/68151 जयपुर, दिनांक :

07 DEC 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत "पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान" (दिनांक 16.12.2020 से 15.02.2021 तक) के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- विभागीय पत्र दिनांक 30.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना जितना काम उतना दाम (टास्क) आधारित योजना हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार योजनान्तर्गत मजदूरी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है जो वर्ष 2020-21 के लिए 220/- प्रति दिवस निर्धारित हैं। वर्तमान में राज्य में औसत मजदूरी दर 166/- रूपये प्रति दिवस है जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर से काफी कम हैं।

विभाग द्वारा योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों द्वारा निर्धारित टास्क प्राप्त करने हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, परन्तु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुये है जिसके मुख्य कारण संभवतया श्रमिकों की जागरूकता में कमी तथा जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर से प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव हैं।

योजनान्तर्गत श्रमिकों को पूरा काम कर पूरा दाम प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर दिनांक **16.12.2020 से 15.02.2021** तक (4 पखवाडे हेतु) राज्य सरकार द्वारा **"पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान"** चलाने का निर्णय लिया गया है।

विशेष अभियान अन्तर्गत पूरा काम पूरा दाम प्राप्त करने हेतु 2 माह की विस्तृत कार्य योजना पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अभियान का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर अभियान को

सफल बनावे एवं प्रत्येक पखवाडे की समाप्ति के 2 दिवस पश्चात अभियान की प्रगति रिपोर्ट आवश्यक रूप से निर्धारित प्रपत्र (संलग्न परिशिष्ट–1) में राज्य स्तर पर जरिये ई–मेल (pdre_rdd@yahoo.com) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम कें प्रावधान के अनुसार जिले में योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का हैं। अतः आप विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारियों को अभियान की सफलता हेतु दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करावें एवं यदि किसी भी स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन में उदासीनता बरती जाती हैं तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। आपको निम्न प्रावधान के तहत कार्यवाही के लिए अधिकृत किया हुआ हैः–

- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 25
- कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.02.2010
- पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 91 (क)
- संविदा कार्मिकों के विरूद्ध संविदा अनुबन्ध के अनुसार

कोविड–19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान जारी दिशा निर्देश दिनांक 30.03.2020 के बिन्दु संख्या–2 में दिये गये निर्देशों को प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है तथा कोविड–19 गाईडलाईन 30.03.2020 के शेष बिन्दुओं की तथा कोविड–19 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

कृपया विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप **"पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान"** की सफलता सुनिश्चित करे।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार**

भवदीय

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
5. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
6. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस